(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 68 / 2024 विविध
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 26.07.2024

1. ताराचन्द पुत्र माणकचन्द
2. गणेश पुत्र माणकचन्द
3. मोहनलाल पुत्र माणकचन्द
4. शिखरचन्द पुत्र माणकचन्द
5. इन्द्रा देवी पुत्री माणकचन्द
6. मधु देवी पुत्री माणकचन्द

समस्त जाति महाजन निवासीयान ग्राम गोकुलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू हाल निवासी आर्दश विद्यामन्दिर के पास, देवनगर कॉलोनी कस्बा फागी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
2. रमेश पुत्र भैरूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम गोकुलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू राजस्थान ।

अप्रार्थी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री हनुमान सहाय सिहाग वकील प्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र धारा 111 एल.आर.एक्ट.
पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत

निर्णय दिनांक:– 26.07.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 395 / 13 रकबा 2.1497 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम गोकुलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू राजस्थान में स्थित आराजी का प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड अनुसार एकमात्र खातेदार काश्तकार है। पडौसी खातेदारों द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में जब विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थीगण ने आराजी भूमि का विधिवत रूप से सीमाज्ञान दिनांक 27.05.2024 को श्रीमान उपतहसीलदार महोदय नीमेडा के आदेश क्रमांक / भू0अ0 / 2023 / 451 दिनांक 15.06.2023 की पालना में ग्राम गोकुलपुरा के खसरा नम्बर 395 / 13 रकबा 2.1497 हैक्टेयर में सीमाज्ञान हेतु मय राजस्व रिकार्ड (डी०आई०आर०एल०एम०पी० शीट आदि) मय सर्वे उपकरण हल्का

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

पटवारी मौके पर पहुँचा मौके पर पहुँचकर उक्त आराजी खसरा नम्बर का मौका देखा गया इसके उपरान्त ग्राम किशोरपुरा के आराजी ख0न0 22 किस्म गै०मु०चाह, ख0न0 41 किस्म गै०मु०चाह, ग्राम गोकुलपुरा के ख0न0 341, 337, 366 किस्म गै०मु०चाह का राजस्व रिकार्ड से मिलान किया गया जो मौके पर सही मिल। इसके उपरान्त उक्त गै० मु०चाह से जरीब चलाकर ख0न0 395 / 13 की चाराओं भुजाओं को कायम कर ख0न0 395 / 13 का सीमाज्ञान किया गया। प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार नहीं चाहते कि विवाद समाप्त हो और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में मिट्‌टी समतल करवाकर शान्ति पूर्वक काश्त कर सकें। जिस हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को नहीं मानते क्यों कि पडौसी खातेदार जबरन प्रार्थीगण की आराजीयात पर कब्जा करना चाहते है जिसका पडौसी खातेदारों को कोई विधिक अधिकार नही है इसके बावजूद पडौसी खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण की आराजीयात के कब्जे काश्त में आये दिन मजाहमत करते है, इसलिये प्रार्थीगण अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर तारबन्दी करवाना चाहते है, इसलियम मुताबिक सी माज्ञान पत्थरगढी करवाना आवश्यक हुआ है। सीमाज्ञान दिनांक 27.05.2024 को सीमाज्ञान एवं कायम किये निशानात को सह खातेदारान व पडौसी खातेदार नहीं मानते तथा प्रार्थीगण से आये दिन लडाई झगडा मेरे कोर को लेकर करते है तथा पत्थरगढी नहीं होने से अप्रार्थी सं0 2 विवाद उत्पन्न करता है इस कारण प्रार्थीगण का यह पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है। सीमाज्ञान दि. 27.05.2024 को किये गये सीमाज्ञान के अनुसार यदि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश मय पुलिस जाप्ता प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थीगण को न्याय मिल सकेगा। श्रीमान न्यायालय को प्रकरण में पत्थरगढी के आदेश करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 बाद तामिल हाजिर अदालत नहीं आये। दिनांक 12.07.2027 अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस एकतरफा सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

लगातार..............3

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का पेश किया है। उक्त विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम गोकुलपुरा में स्थित है। मुताबिक जमाबंदी 2074–2077 वाके ग्राम गोकुलपुरा के खाता संख्या 87 के खसरा नम्बर 395/13 रकबा 2.1497 हैक्टेयर में प्रार्थी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 02 मे अंकित किया है कि पूर्व मे दिनांक 27.05.2024 को विधिवत रूप से सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान होने के पश्चात भी पडौसी काश्तकार आपस मे सीमाओं को लेकर विवाद करते है। इसलिये प्रार्थीगण अपनी सीमाओं की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारों से विवाद होना बताया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में पडौसी खातेदारान के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़े एवं पडौसी काश्तकारों के मध्य शान्ति बनाऐं रखने हेतु न्यायालय सभी पडौसी खातेदारान की उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 395/13 रकबा 2.1497 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम गोकुलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू राजस्थान में स्थित आराजीयात का सभी पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी कर समस्त पडोसी खातेदारान की मौजूदगी में मुताबिक सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/7/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू